


वित्त विधेयक, 2025 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13(3) के खंड (d) से “व्यक्ति” शब्द को हटाने का प्रस्ताव किया गया है।

अब, धारा 13(3)(d) को “किसी भी ऐसे निर्माता, संस्थापक [सदस्य, ट्रस्टी, या प्रबंधक] के किसी भी रिश्तेदार” के रूप में पढ़ा जाएगा।

खंड (d) से “व्यक्ति” शब्द के हटने का अर्थ यह है कि अब दानकर्ता के रिश्तेदार को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं ? 

वित्त विधेयक, 2025 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13(3) के खंड (d) से “व्यक्ति” शब्द को हटाने का प्रस्ताव किया गया है।